8-4-25

पत्रावली पेश हुयी। वादी वकुलाय उपं० है पेशकार सरकार रिपोर्ट प्राप्त है। पेशकार रिपोर्ट व पत्रावली को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण शुद्ध का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

सीन अधिकारी :— सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

...पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
.../120	06.03.2025	08.04.2025

उनवान

01. अहमना पत्नि स्व0 आमीन खां उम्र करीब 86 साल जाति फकीर निवासी पाटा तह0 नौगांवा

................................प्रार्थीया

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 नौगांवा जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थीया अहमना पत्नि स्व0 आमीन खां उम्र करीब 86 साल जाति फकीर निवासी पाटा तह0 नौगांवा जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि साबिक आराजी खसरा नं0 1334 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जिसके हाल खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजीयात इस दावे हाज़ा में विवादित है और विवादित आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जावेगा। वादनी द्वारा विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 1334 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के 1/2 हिस्सा को पूर्व खातेदारान 1. सरजीत कौर, 2. इकबाल सिंह, 3. करतार सिंह, से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उप पंजीयक रामगढ जिला अलवर के यहां पर पंजीबद्व है। बाद खरीद वादनी विवादित आराजी के हिस्सा पर काबिज दाखिल हुई तथा लगातार कार्य काश्त करती चली आ रही है तथा मौके पर काबिज है। मिन वादनी का सही व वास्तविक नाम अहमना है तथा वादनी को घर पर ऐमना के नाम से पुकारा जाता है जो दोनो ही नाम मिन वादनी के है। वादनी द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के खरीद किये जाने वक्त बयनामा में वादनी का नाम अहमना के स्थान पर ऐमना लिखवा दिया गया था। वादग्रस्त आराजी के बयनामा में वादनी का मुताबिक सरकारी रिकोर्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र के दर्ज न होकर वादनी के घर का नाम ऐमना दर्ज व अंकित कर दिया गया। जबकि वादनी का सही व वास्तविक नाम अहमना है। मिन वादनी अपने खरीदशुदा विवादित आराजी रकबे पर बाद खरीद से ही

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

[illegible] होकर [illegible] काश्त चली आ रही है। अब मिन वादनी को [illegible] के तहत [illegible] प्राप्त करने विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो मिन वादनी को अपने द्वारा खरीद किये विवादित आराजी के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादनी के सही व वास्तविक नाम अहमना के स्थान [ऐम]ना के इन्द्राज की जानकारी हुई। अब दिनांक 04.03.2025 को मिन वादनी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के [समक्ष] उपस्थित होकर विवादित आराजीयात के बाबत सहवन व त्रुटिपूर्वक पूर्वक वादनी के सही व वास्तविक [नाम] अहमना के स्थान पर हुए ऐमना को दुरूस्त कर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादनी के नाम के गलत इन्द्राज [ऐम]ना के स्थान पर अहमना दर्ज व दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा इसके [लिए] सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी कराने के लिए कहा गया। जिससे मिन वादनी के पास यह वाद पत्र [न्या]यालय हाजा मे पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। वादनी को प्रतिवादी के विरूद्ध [वा]द पत्र प्रस्तुत करने हेतु बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत दिनांक 04.03.2025 को मिन वादनी द्वारा प्रतिवादी [सं]0 1 के समक्ष उपस्थित होकर विवादित आराजीयात के बाबत सहवन व त्रुटिपूर्वक पूर्वक वादनी के सही व [वा]स्तविक नाम अहमना के स्थान पर हुए ऐमना को दुरूस्त कर हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादनी के नाम के गलत इन्द्राज ऐमना के स्थान पर अहमना दर्ज व दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा इसके लिए सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी कराने के लिए कहा गया, को बमुकाम ग्राम पाटा तहसील नौगांवा जिला अलवर मे उत्पन्न हुई है। वाद वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि विवादित साबिक आराजी खसरा नं0 1334 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जिसके हाल खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा तहसील नौगांवा में वादनी के नाम के गलत इन्द्राज ऐमना के स्थान पर अहमना दर्ज व दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी को अहकाम जारी किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय मे प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि बिन्दु सं0 1 स्वीकार है मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नं0 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा में स्थित है। बिन्दु सं0 2 के अनुसार प्रार्थीया बैयनामा आराजी ख.न. 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा क्रय किया गया था। जिसका नामान्तकरण मुताबिक रजि0 1655 दिनांक 25.07.2020 को दर्ज किया जाकर नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रकरण मे प्रार्थीया का नाम मुताबिक बैयनामा ऐमना दर्ज किया गया जो मुताबिक विकय पत्र सही है एवं आज भी प्रार्थीया का नाम ऐमना ही दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण मे भू0अ0 निरीक्षक मुबारिकपुर से जांच कराई गई जिसके अनुसार आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम अहमना दर्ज है। प्रकरण मे मुताबिक रिपोर्ट भू0अ0नि0 मुबारिकपुर अहमना व ऐमना एक ही महिला है एवं प्रार्थीया आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अहमना दर्ज करना चाहती है। प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के मध्ये नजर प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नं0 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा में स्थित

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

प्रु सं0 2 के अनुसार प्रार्थीया बैयनामा आराजी ख.न. 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा क्रय किया था। जिसका नामान्तकरण मुताबिक रजि0 1655 दिनांक 25.07.2020 को दर्ज किया जाकर नायब शीलदार रामगढ द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया का नाम मुताबिक बैयनामा ऐमना दर्ज किया था जो मुताबिक विक्रय पत्र सही है एवं आज भी प्रार्थीया का नाम ऐमना ही दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण में भू0अ0 निरीक्षक मुबारिकपुर से जांच कराई गई जिसके अनुसार आधार कार्ड में प्रार्थीया का नाम अहमना दर्ज है। प्रकरण मे मुताबिक रिपोर्ट भू0अ0नि0 मुबारिकपुर अहमना व एमना एक ही महिला है एव प्रार्थीया आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अहमना दर्ज करना चाहती है। प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के मध्ये नजर प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरंकार रिपोर्ट अनुसार विवादित साबिक आराजी खसरा नं0 1334 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा जिसके हाल खसरा नम्बर 1943 रकबा 0.19 हे0 वाके ग्राम पाटा तहसील नौगांवा में वादनी के नाम के गलत इन्द्राज ऐमना के स्थान पर अहमना दर्ज व दुरूस्त करना उचित प्रतित होता है। राजस्था भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम ऐमना के स्थान पर अहमना दर्ज किया जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहंमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर